UPKU100084562023

न्यायालय J.M./Ist Addl. Civil Judge (Jr. Div.) Kasia Kushinagar, Kushi Nagar

पीठासीन अधिकारी– (Sarvesh Kumar Pandey), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP04748**

Final Report–541/2023

सरकार/वीरू यादव बनाम भोज यादव आदि।

मु०अप०सं०–186/2017
अन्तर्गत धारा–147,323,325,427,452,504,506 भा०द०सं०,
थाना–बरवापट्टी, जिला–कुशीनगर।

05.08.2026

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि थाना–बरवापट्टी, जनपद–कुशीनगर द्वारा मु०अप०सं० 186/2017, अन्तर्गत धारा–147,323,325,427,452,504,506 भा०द०सं० के मामले में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। जिस पर वादी मुकदमा को नोटिस जारी किया गया। वादी मुकदमा पर बजातखास नोटिस तामिल होकर पत्रावली में वापस प्राप्त है। वादी मुकदमा को नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद वादी मुकदमा उपस्थित नहीं आया और न ही उसकी ओर से अन्तिम रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। सम्बन्धित थाना की रिपोर्ट व ग्राम प्रधान की रिपोर्ट के अनुसार वीरू यादव पुत्र देवदत्त ग्राम व पोस्ट रामपुर बरहन टोला लक्ष्मीपुर नौका टोला थाना बरवापट्टी जिला कुशीनगर में आज से लगभग 10 वर्ष से नहीं रहते हैं। विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट इस कथन के साथ प्रेषित है कि वादी वीरू यादव पुत्र देवदत्त यादव यादव सा० रामपुर बरहन टोला लक्ष्मीपुर डीही थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर व उसके भाई भोज यादव के मध्य जमीनी विवाद चल रहा है, जिसका निस्तारण हेतु गाँव के सम्भ्रान्त व्यक्तियों द्वारा एकत्र होकर के जीमन सम्बन्धी विवाद को सुलझाया जा रहा था कि अचानक किसी ने यह अफवाह फैला दिया कि ईंट पत्थर चल रहा है, भगदड़ मच गया, उसी दौरान भागने दौड़ने में वादी वीरू यादव को गिरने पड़ने से काफी चोट आयी है। विवेचना के सम्बन्ध में साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वादी मुकदमा जो मुकदमे का स्तम्भ होता, उसने शपथपत्र के माध्यम से उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए घटना होने से साफ इंकार किया है। अतः साक्ष्य के अभाव में प्रकरण की विवेचना जरिए अंतिम रिपोर्ट सं०B2/2018 को स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है। अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रकरण में प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः मु०अप०सं०–186/2017, अन्तर्गत धारा–147,323,325,427,452,504,506 भा०द०सं०, थाना–बरवापट्टी, जिला–कुशीनगर के मामले में विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 05.08.2026

प्रथम अति० सिविल जज(जू०डि०)/
जे०एम०, कसया–कुशीनगर।

Digitally signed by Sarvesh Kumar Pandey
Date: 2026.08.05 16:29:16 IST
Reason: Document Owner
Location: Kasia Kushinagar